

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.8 (क)(वि.सं.)()डीएलबी/17/17065

दिनांक: 20-11-2020

आदेश

सुश्री खुशबू बानों, एडवोकेट (एनरोलमेन्ट नं. आर/374/2009) को अधीनस्थ न्यायालयों एवं माननीय उच्च न्यायालय में नगर निगम, जयपुर (हैरिटेज) के प्रकरणों की पैरवी करने हेतु नियमानुसार 20,000/- (अक्षरे बीस हजार रुपये) मासिक पारिश्रमिक पर स्थायी अधिवक्ता नियुक्त किया जाता है। इनको मासिक पारिश्रमिक का भुगतान नगर निगम, जयपुर (हैरिटेज) से देय होगा।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(दीपिका नन्दी) -


निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक: प.8 (क)(वि.सं.)()डीएलबी/17/17065-17073

दिनांक: 20-11-2020

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
04. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
05. महापौर/आयुक्त, नगर निगम जयपुर(हैरिटेज)।
06. सुश्री खुशबू बानों, अधिवक्ता, मार्फत नगर निगम जयपुर(हैरिटेज)।
07. प्रोग्रामर, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
08. सुरक्षित पत्रावली।


(संजय माथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी